अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)
7वां तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली- 110 001,
फोन नं० 23724151—57

विज्ञापन संख्याः प्रशासन/06(02)/2011 से संबंधित पूरे विवरण

"तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना : 2010"

भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए हिन्दी में विभिन्न तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट स्तर की मूल तथा अनूदित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना नामक महत्त्वाकांक्षी योजना वर्ष 1998 से निरंतर जारी है । इस योजना का मूल उद्देश्य राजभाषा (हिन्दी) में तकनीकी विषयों की पाठ्यपुस्तकों के लेखन तथा अनुवाद को बढ़ावा देना और आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान को हिन्दी में उपलब्ध करवाने के लिए लेखकों तथा अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ।

परिषद् द्वारा "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना 2010" के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं । इस योजना में तकनीकी शिक्षा के विभिन्न विषयक्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबंधन व खान-पान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन और भेषजी आदि में गत 5 वर्ष (1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2010 तक प्रकाशित) में हिन्दी भाषा में स्नातकोत्तर/स्नातक, पॉलिटेक्निक/डिप्लोमा तथा आईटीआई/तकनीशियन स्तर की शिक्षा की प्रकाशित मौलिक और/अथवा अनूदित पाठ्यपुस्तकों के लेखकों तथा अनुवादकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नानुसार विचार किया जाएगा :-

(i) तकनीकी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार

हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर (यूजी/पीजी) की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु.1,00,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 51,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 31,000/-

हिन्दी में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 51,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 31,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 21,000/-

हिन्दी में आईटीआई/तकनीशियन स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize) रु. 31,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize) रु. 21,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize) रु. 11,000/-

(ii) अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री (यूजी/पीजी) तथा डिप्लोमा स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize) रु. 31,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize) रु. 21,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize) रु. 11,000/-

हिन्दी में आईटीआई/तकनीशियन स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize) रु. 21,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize) रु. 11,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize) रु. 5,000/-

इस योजना का पूरा विवरण और आवेदन पत्र अभातशिप की वेबसाईट www.aicte-india.org/Bulletin>Advertisement पर उपलब्ध है **तथा** "हिन्दी अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 7वां तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110 001" को पत्र भेजकर भी मंगवाया जा सकता है ।

प्रकाशित कृति की चार प्रतियों सहित विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **29 जुलाई, 2011** तक परिषद् में अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिएं ।

सदस्य सचिव

तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना 2010 के लिए आवेदन-पत्र (प्ररूप)

फोटो

1 (क) लेखक और / अथवा अनुवादक का नाम, पद तथा पूरा पता (यदि एक से अधिक लेखक/अनुवादक हैं तो सभी के नाम तथा फोटो अपेक्षित है) : ______________________

(ख) लेखक / अनुवादक का वर्तमान कार्यक्षेत्र : ______________________

(ग) शैक्षणिक योग्यता : ______________________

(घ) संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर : ______________________

(ङ) ई-मेल (यदि कोई है) : ______________________

यदि लेखक / अनुवादक एक से अधिक हैं : तो अन्य लेखकों/अनुवादकों का विवरण ______________________

2. मूल और / अथवा अनूदित पुस्तक का विषय तथा शीर्षक : ______________________

(क) प्रकाशन वर्ष : ______________________

(ख) प्रकाशक का नाम व पता : ______________________

3. किस स्तर के विद्यार्थी के लिए यह पुस्तक लिखी / अनूदित की गई है : ______________________

घोषणा-पत्र

4 (क) मैंने/हमनें पुरस्कार योजना के नियमों को पढ़ लिया है और मैं/हम उससे पूरी तरह सहमत हूँ/हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह पुस्तक मूलतः मैंने/हमने लिखी /हिन्दी में अनूदित की है ।

(ख) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही एवं सत्य है।

(ग) यह पुस्तक मूल लेखक की सहमति एवं अनुमति से अनूदित की गई है और इसमें कोई कानूनी बाधा पेश नहीं आएगी अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरी/हमारी होगी । (केवल अनुदित पुस्तक के मामले में)

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुस्तक को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है।

यदि पुस्तक के लेखक और/अथवा अनुवादक एक से अधिक हैं तो सभी को घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे

हस्ताक्षर : ______________

पूरा नाम : ______________

पूरा पता : ______________

____

तिथि : ______________

स्थान : ______________

5. टिप्पणी :

(i) आवेदन-पत्र पर लेखक/लेखकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों ।

(ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) यदि कोई लेखक अपनी एक से अधिक पुस्तकें पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन-पत्र देना होगा ।

(iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन नं. का उल्लेख अवश्य करें । यदि निकट भविष्य में उनके अनयत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो, तो भविष्य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।

(v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास पाठ्यपुस्तकों को पुरस्कार हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस विषय में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

(vi) पुरस्कारों के निर्धारण के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं सभी आवेदकों / लेखकों के लिए मान्य होगा ।

*****

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

योजना का विवरण / नियम एवं शर्ते तथा ध्यान देने योग्य मुख्य बातें

1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना" है ।

2. कार्यक्षेत्र :

इस योजना के अंतर्गत अभातशिप के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयक्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला और भेषजी (फार्मेसी) आदि में गत 5 वर्षों (1 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2010 तक प्रकाशित) में डिग्री (यू.जी./पी.जी.), डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई./ तकनीशियन स्तर की हिन्दी भाषा में प्रकाशित मौलिक और/अथवा अनूदित पाठ्यपुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा ।

3. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभाषा (हिन्दी) में उपर्युक्त विषयों में उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक लेखन तथा हिन्दी अनुवाद को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकी विषयों के अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ।

4. पुरस्कार राशि :

हिन्दी भाषा में लिखित/अनूदित एवं प्रकाशित पुस्तकों पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे-

(i) तकनीकी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री स्तर (यूजी/पीजी) की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु.1,00,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 51,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 31,000/-

हिन्दी में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 51,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 31,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 21,000/-

हिन्दी में आईटीआई / तकनीशियन स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 31,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 21,000/-

तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 11,000/-

(ii) अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री (यूजी/पीजी) तथा डिप्लोमा स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 31,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 21,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 11,000/-

हिन्दी में आईटीआई / तकनीशियन स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 21,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 11,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 5,000/-

5. पुरस्कार योजना में भाग लेने की पात्रता :

(i) सभी भारतीय नागरिक पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना में मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की पुस्तकों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।

(ii) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

6. सामान्य शर्तें :

(i) आवेदन पत्र के सभी कॉलमों में पूरी एवं सटीक जानकारी दी जाए । विशेष रुप से डाक पता एवं दूरभाष संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाए ।

(ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(iv) सभी पुरस्कार हर वर्ष में दिए जाएंगे । यदि किसी वर्ष में चयन समिति की राय में, किसी वर्ग के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

(v) परिषद् को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों/विनियमों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार होगा।

(vi) प्रविष्टि के साथ संलग्न की गईं पाठ्यपुस्तकों की प्रतियाँ परिषद् की संपत्ति मानी जाएंगी तथा तत्पश्चात् उन पर लेखक और / अथवा अनुवादक का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

7. मूल्यांकन समिति :

पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन हेतु परिषद् एक मूल्यांकन समिति गठित करेगी जिसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञ सदस्य होंगे। प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को इस समिति में सहयोजित किया जा सकेगा।

8. आवेदक / आवेदकों के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें :

(i) आवेदन-पत्र पर लेखक/लेखकों और / अथवा अनुवादक / अनुवादकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों ।

(ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) यदि कोई लेखक / अनुवादक अपनी एक से अधिक पुस्तकें पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन-पत्र देना होगा ।

(iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन/मोबाईल नं. तथा ई-मेल (यदि कोई हो) का उल्लेख अवश्य करें । यदि निकट भविष्य में उनके अनयत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो, तो भविष्य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।

(v) अनूदित पुस्तक के मामले में मूल लेखक की अनुमति / सहमति संलग्न करें ।

(vi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास पाठ्यपुस्तकों को पुरस्कार हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस विषय में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

(vii) पुरस्कारों के मूल्यांकन / निर्धारण के संबंध में परिषद् का निर्णय सभी आवेदकों /लेखकों /अनुवादकों के लिए अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

8. प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की 4 प्रतियां लेखकों और / अथवा अनुवादकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यालय में दिनांक **29 जुलाई, 2011** तक विधिवत् भरे हुए निर्धारित प्ररूप के साथ भेजनी होंगी।